भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3836 का उत्तर

रेल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तंत्र

3836. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2023 के दौरान रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 10 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों के निवारण और भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभागीय सतर्कता तंत्र को और सुदृढ़ बनाने हेतु किसी नई योजना या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2024 के दौरान रेल में भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को कम करने के लिए सतर्कता जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने रेल में शिकायतों की त्वरित जांच और निपटान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): शिकायतों का प्राप्त होना और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। एक बार शिकायत प्राप्त हो जाने पर इसकी वास्तविकता का सत्यापन किया जाता है और सत्यापित शिकायतों की आगे उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई अथवा विस्तृत अन्वेषण के लिए जांच की

जाती है। जांच के पश्चात् जहां कहीं किसी अनियमितता का पता चलता है, आरोपों की गंभीरता के आधार पर संबंधित रेलकर्मी के विरुद्ध, जो भी उपयुक्त हो, यथा उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

शिकायतों की जांच और सतर्कता विभाग द्वारा की गई नियमित निवारक जांचों के परिणामस्वरूप, प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सतर्कता विभाग द्वारा मामलों के विस्तृत अध्ययन से प्रणाली में सुधार होता है और उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा पारदर्शिता में सुधार करने में सहायता मिलती है।

शिकायतों/जाँचों की निगरानी और उनका अन्वेषण आईआरवीआईएनएस (भारतीय रेल सतर्कता सूचना प्रणाली) सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। मामलों की नवीनतम स्थिति की निगरानी, समीक्षा और अद्यतन करने के लिए नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए वर्तमान सॉफ्टवेयर का और अधिक उन्नयन किया जा रहा है।

भारतीय रेल में विभिन्न ई-प्लेटफॉर्म/पोर्टल जैसे

- जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस),
- आईआरईपीएस (भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली),
- आईपीएएस (एकीकृत वेतन सूची और लेखांकन प्रणाली),
- आईआरडब्ल्यूसीएमएस (भारतीय रेल निर्माण कार्य संविदा प्रबंधन प्रणाली)
- एफओआईएस (माल यातायात संचालन सूचना प्रणाली),
- रेकों का ऑनलाइन आवंटन,
- एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली),
- यूडीएम (उपयोगकर्ता डिपो मॉड्यूल),
- एचएमआईएस (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) आदि

शुरू किए गए है ताकि आगे सुधार करने हेतु पारदर्शिता बढ़ाने और डाटा का उपयोग किया जा सके। यह प्रणालियां विभिन्न हितधारकों को उचित और समान अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। निवारक सतर्कता के भाग के रूप में इन पोर्टलों की प्रभावी निगरानी करने और

शिकायतों की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त स्तर पर अधिकारियों को उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टलों का एक्सेस मुहैया कराया गया है।

भारतीय रेल के प्रशिक्षण केंद्रों में निवारक सतर्कता को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न भाग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता अधिकारियों को नियमित रूप से जेडआरटीआई (क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान), उदयपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। आईआरआईटीएम (भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान), लखनऊ में नव नियुक्त सतर्कता अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया गया है।

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता को बढ़ावा देने, जन जागरूकता उत्पन्न करने और भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभाव को प्रचारित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 माह के अभियान और सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) कार्यक्रम के अवसर पर सतर्कता जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं।

शिकायतों की जांच और निपटान अधिकांशतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार किया जाता है।

*****